एड. मनोज जैसवाल के प्रयासों के चलते हटा अवैध गैस हब

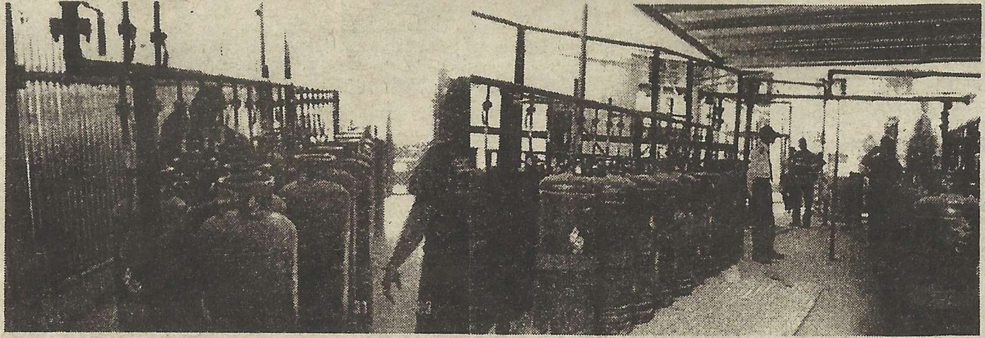

मुंबई : समाजसेवक एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता मनोज जैसवाल के प्रयासों के चलते आखिरकार फिनिक्स मिल परिसर में अवैध तरीके से स्थापित गैस हब हटा लिया गया है. ज्ञात हो कि बिना किसी परमीशन के अवैध रूप से अवैध हब स्थापित किया गया था, जहां से बड़े होटलों व रेस्टारेंटों को गैस सप्लाई की जाती थी. जिससे गैस हब से सटे हुए स्थानीय रहिवासियों को गैस की बदबू आ रही थी तथा दुर्घटना की आशंका से रहिवासियों ने विरोध भी किया परंतु गैस हब प्रबंधकों व प्रशासन पर जूं तक नहीं रेंगी. ऐसे में अधिवक्ता मनोज जैसवाल ने जी दक्षिण विभाग वार्ड अधिकारी गड़करी को लिखित शिकायत की. साथ ही एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की. साथ ही मनपा आयुक्त से भी शिकायत की. उसके बाद भी जब अवैध गैस हब नहीं हटा तो फिर मामला मीडिया में उठाया. तब कहीं जाकर अवैध गैस हब हटा व स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली. गैस हब मालिक ने अग्निशमन दल से भी आज्ञा नहीं ली थी. खैर अधिवक्ता जैसवाल के प्रयासों की प्रशंसा हो रही है.